न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 47 / 21 वर्ष 2021

जीसीएम संख्या :–2021 / 284

बउनवानी:– 1. रामचरण पुत्र श्री गोपाल मीना निवासी लहसोडा तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र धूडीलाल जाति मीना नि0 लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत लहसोडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लहसोडा तह0 स0मा0

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 08 मे जारी पटटा संख्या 8 दायर दिनांक 5.10.2012 निर्णय दिनांक 9.10.2012 ग्राम पंचायत लहसोडा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री भोलाशंकर शर्मा वकील प्रार्थी

2. श्री सत्येन्द्र कुमार वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.11.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत लहसोडा द्वारा मिसल संख्या 08 मे जारी पटटा संख्या 08 दायर दिनांक 5.10.2012 निर्णय दिनांक 9.10.2012 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय / पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश एवं पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी का आवासीय मकान ग्राम लहसोडा मीना मोहल्ला मे स्थित है जिसकी साईज 21X55 फीट है जिसपर प्रार्थी ने पुख्ता मकान बना रखा है तथा प्रार्थी के मकान के दक्षिण दिशा की ओर आम चोक तथा आम रास्ता है जो प्रार्थी व आस–पास पडौसियों के सार्वजनिक उपयोग मे आता है उक्त चौक में ही पडौसी श्यामलाल, कमलेश तथा विपक्षी संख्या 1 के पुख्ता मकान का दरवाजा निकला हुआ है। इसके उपरान्त विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से सांठ–गांठ कर प्रार्थी के मकान के दक्षिणी पश्चिमी की ओर 11X20 फीट सार्वजनिक चौक व रास्ते की भूमि का पटटा फर्जी तरीके से प्राप्त कर लिया है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे लिखा है कि विपक्षी संख्या 1 अपने पूर्व पटटे की रजिस्ट्री करवाना चाहता है इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत न तो आपत्ति नोटिस जारी किया ओर ना ही प्रार्थी व आस–पास के पडौसियो को सुनवायी का अवसर दिया तथा उसके उपरान्त गोपनीय तरीके से विपक्षी संख्या 1 से सांठ–गांठ कर चुपचाप फर्जी तरीके से उक्त निर्णय पारित कर पटटा जारी किया है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है जबकि ग्राम पंचायत को रास्ते व सावर्जनिक भूमि पर पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 2 को जारी पूर्व पटटा मिसल संख्या 3 दिनांक 20.8.2010 का है वह पुराने पुख्ता मकान का है जो प्रमोद के मकान के पास है उसी पटटे को नवीनीकरण कराकर विपक्षी संख्या 1 ने आम चौक व रास्ते की भूमि का फर्जी पटटा प्राप्त किया है जो निरस्त योग्य है। सिविल न्यायालय के प्रकरण में तलब की गयी मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.9.2021 मे भी विवादित पटटे से संबंधित भूखण्ड पर निर्माण होने से चौक की चौडाई कम होना, छोटी छोटी नालियॉ अवरूद्व होना, रास्ता सकडा होना तथा प्रार्थी के मकान के सामने का आधा हिस्सा बन्द हो जाना इत्यादि अंकित किया है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पटटा जारी करने से पूर्व विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर ग्राम पंचायत कोरम में विधिवत सुनवायी हेतु आपत्ति नोटिस जारी करना चाहिऐ था तथा ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण कोरम के समक्ष उक्त निर्णय पारित करना चाहिऐ था किन्तु विपक्षी संख्या 2 ने चुपचाप गोपनीय तरीके से विपक्षी संख्या 1 से मिलकर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

.....(1).....

Scanned with OKEN Scanner

(निगरानी संख्या 47/2021 उनवानी रामचरण बनाम फूलचन्द वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि विवादित पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप प्रार्थना पत्र पेश किया है जो दिनांक 20.8.2010 को दर्ज किया जाकर वार्ड पंचो की मौका रिपोर्ट ली गयी इसके उपरान्त दिनांक 5.9.2010 को पंचो की मौका रिपोर्ट पेश होने पर आपत्तियॉ मांगी जाकर नियत अवधि मे कोई आपत्ति पेश नही होने पर दिनांक 20.10.2010 को निर्णय हेतु पेश होने पर मुझे अप्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद दिनांक 3.10.2012 को पटटा नवीनीकरण बाबत प्रार्थना पत्र दिया जाने पर दिनांक 5.10.2012 को मिसल संख्या 8 दायर कर दिनांक 9.10.2012 को विवादित पटटा संख्या 8 जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का जारी किया गया है तथा आबादी भूमि पर पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार है। जहॉ तक चौक की भूमि का पटटा जारी करने का प्रश्न है तो उक्त पटटा प्रार्थी के मकान के पास खाली भूमि का जारी किया गया है जिससे कोई चौक व नाली प्रभावित नही हुई है। उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड को लेकर प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था जो दिनांक 22.10.2021 को खारिज किया जाकर प्रार्थी को पाबंद किया गया था कि मुझ अप्रार्थी के पटटेशुद्वा भूखण्ड पर विधि अनुसार किये जाने वाले निर्माण मे बाधा/मजाहमत कारित ना करे। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व सारी कार्यवाही यथा पंचायत मे प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाना, मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया जाना, उसके बाद कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करना, आपत्ति नोटिस की मयाद समाप्त होने तक किसी पडौसी या व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही होने पर नियमानुसार शुल्क जमा होने पर पटटा जारी किया है किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा उक्त पटटा सार्वजनिक चौक की भूमि का जारी होने बाबत किये गये कथन की पुष्टि मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.9.2021 से हो जाती है जिसमे स्पष्ट लिखा गया है उक्त स्थान पर पटटा जारी करने से सार्वजनिक चौक की चौडाई कम हो जावेगी साथ ही चौक की छोटी–छोटी नालियॉ अवरूद्व हो जावेगी साथ ही प्रार्थी के मकान के आगे का हिस्सा भी उक्त भूमि पर निर्माण करने से दब जावेगा। इस प्रकार उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड सार्वजनिक चौक की भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को भी नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर आदेश जैर निगरानी का पुनःपरीक्षण करवाया जाना उचित समझते है

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में पटटा जारी करने से प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner